240   ...1101 ... 82

श्री सुरेन्द्र मरारी अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-5   लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल 1989

विषय: सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिकों को अतिरिक्त सुविधाएं दिया जाना।

महोदय,

आपके उपर्युक्त विषयक अर्धशासकीय पत्र संख्या-59 ई0जी0/15 ई0ए0/87 दिनांक ...1-1989 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत परिकल्प, शोध अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित शाखाओं/ पदों, जिनका विवरण इस शासनादेश के संलग्नक-एक में दिया गया है, में कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिकों को निम्नलिखित विशेष वेतन, भत्ते एवं सुविधायें स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त कार्यों के लिए पूर्व में स्वीकृत विशेष वेतन, परिकल्पना भत्ता, तथा वाहन भत्ता क्रमश: डिजाइन विशेष वेतन तथा वाहन भत्ते में समायोजित कर लिया जायगा :-

1। डिजाइन विशेष वेतन :

पदनाम	रुपये
क। अधीक्षण अभियन्ता	300/= रु प्रतिमाह (रु0 तीन सौ मात्र प्रतिमाह)
ख। अधिशासी अभियन्ता	250/= प्रतिमाह (रु0 दो सौ पचास मात्र प्रतिमाह)
ग। सहायक अभियन्ता	200/= प्रतिमाह (रु0 दो सौ मात्र) प्रतिमाह
घ। अवर अभियन्ता	100/= प्रतिमाह (रुपये एक सौ मात्र प्रतिमाह)

2। आवासीय सुविधा :

वेतन, विशेष वेतन तथा वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो) की कुल धनराशि के ...स प्रतिशत पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायगी। जब तक किराये के सरकारी आवास आवंटित तथा उपलब्ध नहीं हो जाते है तब तक मकान किराया भत्ता उन्हीं ...ों पर अनुमन्य होगा जिन दरों पर निःशुल्क आवासीय सुविधा वाले अधिकारियों ...। कर्मचारियों को अनुमन्य है।

3। सहायक प्रतिपूर्ति भत्ता

जिन अधिकारियों को अर्दली/ चपरासी नहीं मिले है या जिनके अर्दली वापस ...ए जाय उन्हें सहायक प्रतिपूर्ति भत्ता रुपये 200/= (दो सौ रु0 मात्र) प्रतिमाह ...सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता को और 100/= (रुपये एक सौ मात्र) ...प्रतिमाह अवर अभियन्ताओं को देय होगा।

I.T
upload की
27.01.1988

वाहन भत्ता

पदनाम	रुपये	अभ्युक्ति
1. अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता	100/= प्रतिमाह (रु0 एक सौ मात्र) प्रतिमाह	अपनी निजी स्कूटर/ मोटर साइकिल के रख-रखाव हेतु।
2. अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता	150/= प्रतिमाह (रु0 एक सौ पचास मात्र) प्रतिमाह	अपनी निजी कार/जीप रखरखाव हेतु

उपर्युक्त वाहन भत्ता वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –3 के नियम –82 के अन्तर्गत ...लिखित कर्मचारियों/ अधिकारियों को अपने निजी वाहनों को संतोषजनक और चालू ...ा में रखने और मुख्यालय पर सरकारी कार्यवश यात्राओं में उन्हीं का उपयोग करने हेतु ...कार्य होगा तथा यदि उन्हें सरकारी वाहन उपलब्ध/ आवंटित होंगे तो वाहन भत्ते सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

वर्तमान में वाहन भत्ता मुख्यालय पर अल्प दूरी की उन यात्राओं के लिए अनुमन्य ...ता है, जिनके लिए सरकारी सेवकों को शासकीय वाहन उपलब्ध न कराया गया हो या ... सम्भव है कि सम्बन्धित ... यात्राओं के लिए अन्य किसी रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति न हुई हो। ...र अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ताओं और अधीक्षण ...भियन्ताओं ने मुख्यालय पर की गयी यात्राओं में सरकारी वाहनों का उपयोग किया हो ...का वाहन व्यय प्राप्त किया हो इस स्थिति में यदि किसी कार्मिक द्वारा दिनांक ...3.87 से सरकारी वाहन का उपयोग किया गया हो अथवा उसको वाहन भत्ता की ... कर भुगतान किया गया हो तो जैसी भी स्थिति हो उसका समायोजन इस शासनादेश ...रा स्वीकृत उपर्युक्त वाहन भत्ते से कर लिया जायगा।

... उपर्युक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित डिजाइन विशेष वेतन, मकान किराया भत्ता, ...ायक प्रतिपूर्ति भत्ता तथा वाहन भत्ता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों तथा प्रति...बन्धों के अधीन होगी। :-

1। जिन शाखाओं / पदों (अर्थात वृत्तों/खण्डों एवं अन्य संगठनों, जिनका विवरण ...लग्नक –एक में दिया गया है) के लिए विशेष वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं स्वीकृत किये ...ा रहें है, उन पर/ उनमें कार्यरत अभियन्त्रण अधिकारी तथा अवर अभियन्ता को उसी ...धा को यह अनुमन्य होगें, जो कि इस आदेश को जारी करने के दिनांक को स्वीकृत है।

2। इस शासनादेश (संलग्नक के संलग्नक एक में सम्मिलित शाखाओं/ पदों (अर्थात ...त्तों/ खण्डों एवं अन्य संगठनों) के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रसंगत विशेष वेतन/ भ... सुविधाएं तब तक अनुमन्य नहीं होगी, जब तक कि शासकीय आदेश द्वारा प्राधिकृत न किया जाय।

3। इस शासनादेश के संलग्नक एक में सम्मिलित शाखाओं/ पदों (अर्थात वृत्तों/ खण्डों एवं अन्य संगठनों) पर तैनात किसी अभियन्त्रण अधिकारी तथा अवर अभियन्ता ... प्रसंगत विशेष वेतन/ भत्ते/ सुविधाएं तभी तक ही अनुमन्य होगी, जब तक ...ें रूप से परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण ... सर्वेक्षण एवं ...निरीक्षण कार्य में रत रहेंगे। यदि किसी समय या अवधि में, उन्हें, इन कार्यों के अ... ...य कार्य सौंपा जाता है, तो विशेष वेतन/ भत्ते/ सुविधाएं उस अवधि के लिए ...ीं रह जायगी जब तक कि अन्य कार्य भी निष्पादित किया जाता रहेगा।

संख्या- 162/111(1)/04-18,

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित तीनों शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रत्येक माह के वितरण बिल पर इस शासनादेश के संलग्नक दो के अनुसार प्रमाण पत्र [illegible]

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत प्रसंगत विशेष वेतन/ भत्ते/सुविधाए दिनांक 1-मार्च, 1987 से अनुमन्य होंगे।

5= यह स्पष्ट किया जाता है कि इस शासनादेश द्वारा संलग्नक एक में उल्लिखित शाखाओं/ पदों (अर्थात वृत्तों/ खण्डों एव अन्य संगठनों) में कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिकों को स्वीकृत प्रसंगत विशेष वेतन/ भत्ते/सुविधायें केवल उसी दशा में अनुमन्य होंगी जब कि उक्त शाखाओं/ पदों द्वारा परिकल्प /शोध/ अनुसन्धान /नियोजन/ अन्वेषण/ सर्वेक्षण/ प्रशिक्षण से सम्बन्धित उनको निर्दिष्ट कार्य ही सम्पादित किए जा रहें हों। यदि उनमें से किन्हीं शाखाओं / पदों द्वारा उक्त कार्यों के बजाय अन्य प्रकार के कार्य सम्पादित किए जा रहें हों तो उनमें कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिकों को प्रसंगत विशेष वेतन / सुविधाए अनुमन्य नहीं होंगी ।

6= इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के लेखा शीर्षक "2059" -लोक निर्माण- आयोजनेत्तर-80-सामान्य -001- निदेशन एवं प्रशासन -02 कार्यकारी" के अन्तर्गत सुसंगत-इकाइयों के नामे डाला जायगा ।

7- यह शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के अशासकीय संख्या सा-4-298 /दस-89 दिनांक 21 अप्रैल, 1989 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है-।-
संलग्नक:- एक व दो ।

भवदीय,
ह०सुरेन्द्र मुरारी अग्रवाल।
विशेष सचिव

संख्या: 2401(1) ई/23- सा०नि-5-तद दिनांक
==

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1= महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2= स्टाफ आफिसर, कार्या० प्र० अभि० सा०नि०वि० उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3= वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग -8
4= वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग -1/2 (छ:छ: प्रतियां)
5= वित्त (सामान्य) अनुभाग 1/4 (छ: छ: प्रतियां)
6- सिंचाई अनुभाग -1
7= सचिव, लोक निर्माण शाखा के समस्त अधिकारीगण/ अनुभाग ।
8= गार्ड फाइल के लिए ।
9= गोपन अनुभाग -1 को आदेश की तीन प्रतियों सहित उनके पत्रांक 5/2/45/III दिनांक 31-12-88 के संदर्भ में ।

आज्ञा से
ह० (सुरेन्द्र मुरारी अग्रवाल)
विशेष सचिव ।

...र प्रदेश शासन के सेवा निवृत्त होने वाले सचिव के दावे पद के उत्तराधिकारी द्वारा ... किये जावेंगे । स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दावों के सम्बन्ध में प्रस्तुत (फरनिश) किये ...प्रमाण इन नियमों के अधीन यात्रा भत्ता के दावों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत करना अपेक्षित

(5) इन नियमों के अधीन अनुमन्य यात्रा भत्ता की पूर्ति के पूर्व प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों को जहां तक सम्भव हो, यह सन्तोष कर लेना चाहिये कि दावा करने वाले और उसके परिवार सदस्यों ने अपने निवास गृह अथवा किसी अन्य स्थान के लिये जहां वह बसना चाहता है यात्रा सम्पादित की है, उदाहरणार्थ (i) सम्बन्धित सरकारी सेवक से इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह और उसके परिवारी सदस्यों ने उस श्रेणी में जिसके लिये दावा प्रस्तुत (Prefer) किया गया है, यात्रा सम्पादित की है और (ii) अपने वैयक्तिक सामान/वाहन के कारण किये गये दावे के लिये आवश्यक रसीदें व व्यय पत्र (Receipts and Vouchers) के अधियाचन (Requisitioning) करके

(6) इन आदेशों के अधीन यात्रा भत्ता का भुगतान कोषागार अधिकारी को कोषागार नियम 23 (उत्तर प्रदेश) के साथ पठित पैरा 101 वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच, भाग 1, का शिथिलीकरण करते हुये देय होगा अर्थात ऐसे दावों का उसके द्वारा अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के निर्गत कर दिये जाने पर भी और सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र समर्पित कराये बिना जो पेन्शन के अन्तिमीकरण कराने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित होगा, भुगतान किया जा सकेगा ।

अध्याय 7

वाहन भत्ता

(CONVEYANCE ALLOWANCE)

82 शासन ऐसी शर्तों पर जैसा वे आरोपित करना उचित समझें किन्हीं सरकारी सेवकों पर जिससे प्राय: मुख्यालय से अथवा थोड़ी दूरी की यात्रायें करने के लिये ऐसी अपेक्षा की जाती है जिनके लिये यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होता, मासिक वाहन भत्ता प्रदान कर सकते हैं ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड दो के सहायक नियमों के अध्याय 12 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाये और जब तक स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी अन्यथा निदेशित न करे, वर्ष भर आहरित किया गया वाहन भत्ता, मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान संदाय नहीं होता है और नियमों के अधीन अनुमन्य किसी अन्य यात्रा भत्ता के अतिरिक्त आहरित किया जा सकता है, परन्तु सरकारी सेवक विशेष रूप से मोटरकार या मोटर साइकिल , स्कूटर या मोपेड रखने के लिये प्रदान किया जाने वाला वाहन भत्ता प्राप्त करता है, सिवाय ऐसी शर्तों के जो वाहन भत्ता स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी नियत करे मोटरका... स्कूटर या मोपेड द्वारा यात्राओं के लिए किलोमीटर या दैनिक भत्ता आहरित नहीं करेगा ।

(वाहन, भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों की सूची ऐसे भत्तों की दरों और उनसे लगी अन्य शर्तों सहित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 3 के परिशिष्ट VIII में दी गयी है) संलग्न है ।

<u>टिप्पणी</u>—वाहन भत्ते का आहरण जहां यह सरकारी सेवक को इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि वह विशिष्ट प्रकार का वाहन संधारित करे, इस अग्रेतर प्रतिबन्ध कि <u>वाहन सन्तोषजनक दशा में संधारित किया गया है, के अधीन होता है</u> ।

बिल जिसमें भत्ते का दावा किया गया हो आहरण अधिकारी के यदि वह स्वयं आहरण अधिकारी है तो सम्बन्धित अधिकारी के इस आशय के प्रमाण-पत्र द्वारा पोषित होना चाहिये कि नियत वाहन साधन दावा प्रेषित की गई अवधि के दौरान सन्तोषजनक दशा में निरन्तर संधारित किया गया था ।

83 से 84. [निरस्त किये गये]

85. कार्यग्रहण काल में वाहन और घोड़ा भत्ता आहरित नहीं किया जा सकता है ।

टिप्पणी इस नियम के अपवाद स्वरूप, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी और अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के सदस्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अधीनस्थ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड दो के सहायक नियम 197 में विहित प्रावधानों के होते हुए भी, कार्यग्रहण काल में, कर्तव्य पर होने की दशा में उनके द्वारा आहरित किये जाने वाला वाहन भत्ता, इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये कि उनके परिणामस्वरूप शासन को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़े और वाहन वास्तव में संधारित किया गया हो, आहरित किया जाता रहेगा ।

86 से 87. [निकाल दिया गया]

अध्याय 8

प्रक्रिया सम्बन्धी नियम

(RULES OF PROCEDURE)

Countersignature

प्रतिहस्ताक्षण

88. (1) सरकारी सेवक का यात्रा भत्ता बिल (स्थायी भत्ते से भिन्न) का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया जाये ।

(2) कोई अधिकारी अपने निजी नियन्त्रक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक शासन द्वारा स्पष्टरूप से अधिकृत न कर दिया जाये । उन अधिकारियों की सूची जो अपने निजी यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्धों में नियन्त्रक अधिकारी होना घोषित कर दिये गये हैं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड तीन के परिशिष्ट IX के भाग 1 में दी गई है ।

1	2	3	4
V कृषि (Agriculture)			
...के कृषि ...न्ता के कार्या- ...य के भण्डारी (स्टोर-कीपर)	12.69	कोई विशिष्ट वाहन का साधन निर्धारित नहीं	अधिकारी को अपने कार्य पर रहते हुए जो बारम्बार सड़क यात्राएँ करनी पड़ती हैं उनके लिए स्वीकृत।
2—उपनिदेशक कृषि शारदा सर्किल (Sarda Circle) लखनऊ के कार्यालय के भण्डारी	9.00	तदैव	तदैव
3—कृषि ओवरसियर कृषि फार्म, वाराणसी।	9.00	तदैव	तदैव
4-5—[निकाल दिया]			
VI आबकारी (Excise)			
1—अधिकारी निरीक्षक, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आगरा, वाराणसी, देहरादून और मेरठ शहर (नगर)	13.31	वाहन का कोई विशिष्ट साधन निर्धारित नहीं	सड़क द्वारा की जाने वाली बारम्बार की यात्राओं के लिए स्वीकृत जो अधिकारियों को कार्य पर करनी पड़ती हैं।
VII स्वास्थ्य विभाग (Health Department)			
1—[निकाल दिया]			
2—समस्त विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी	120·00 (160·00 या मी. प्रतिमाह से अधिक हो)	मोटरकार यदि स्थानीय चालन 400 कि-मी. प्रतिमाह से अधिक हो।	सड़क द्वारा की जाने वाली बारम्बार की यात्राओं के लिए स्वीकृत जो अधिकारियों को कार्य पर करनी पड़ती हैं। यदि मोटरकार मोटर साइकिल स्कूटर या मोपेड जैसा भी मामला हो वास्तव में उपयोज्य हालत में रखी जाती है और कोई शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो दिखाई दरों पर भत्ता अनुमन्य होगा।
	75·00 या	मोटर साइकिल	
	60.00	स्कूटर	
	40.00	मोपेड	

1	2	3	4
3-6—[निकाल दिया]			पटवादनगर और हल्द्वानी के बीच की यात्राओं में अभीक्षक अपने वाहन भत्ता के अतिरिक्त निम्नलिखित यात्रा भत्ता पाने के अधिकारी हैं। (1) सड़क मील भत्ता—साधारण रूप से उसे अनुमन्य दर का आधा। (2) प्रत्येक रात्रि के लिए दैनिक भत्ता जब उसे हल्द्वानी में ठहरने की अपेक्षा की गयी हो।
VIII सार्वजनिक निर्माण (P.W.D.)			
1—अभियन्ता	75.00 या	मोटर साइकिल	सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता निम्न लिखित शर्तों के साथ वाहन भत्ता स्वीकार करते हैं। (1) यह कि जब अवर अभियन्ताओं को सरकारी निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अपने मुख्यालयों के आठ किलोमीटर के अन्दर यात्राएँ करनी पड़ती हैं, और इस बात को प्रमाणित किया जाय कि अवर अभियन्ता एक मोटर साइकिल या स्कूटर या मोपेड या साइकिल उपयोज्य हाल में रखता है। अधिशासी अभियन्ता पर इस बात का दायित्व होगा कि अधिकारी अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने के योग्य वाहन रखता है।
	60.00 या	स्कूटर	
	40.00 या	मोपेड	
	10.00	साइकिल	

2	3	4
		(2) कि जैसा शर्त नं० (4) में उपबंधित है के अतिरिक्त जिस दिन अथवा दिनों, सड़क द्वारा की गयी यात्राओं का मील भत्ता या अवस्थान का दैनिक भत्ता आहरित किया जाता है। का वाहन भत्ता जब्त होगा। (3) कि नियम 27 (A) (a) (ii) या 27 (B) (I) (a) (ii) के अन्तर्गत अनुमन्य दैनिक भत्ता, के अतिरिक्त भत्ता, जैसी भी स्थिति हो आहरित किया जा सकता है। (4) कि अनुमन्य मील भत्ता के अतिरिक्त भत्ता आहरित किया जा सकता है। (5) कि एक बार में वाहनों का एक ही साधन स्वीकृत किया जायेगा।

2-2-25 — [निकाल दिया]

VIII A सिंचाई (Irrigation)

1—अवर अभियन्ता	75·00 या 60·00 या 40·00 या 10·00	मोटर साइकिल स्कूटर मोपेड साइकिल	अधीक्षण अभियन्ता निम्न-लिखित शर्तों पर वाहन भत्ता स्वीकृत कर सकते हैं। (1) कि कालोनी के रख-रखाव और अन्य सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में अधि-कारियों को अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर के अन्दर यात्राएँ करनी पड़ती हैं। और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता प्रमाणित करता है कि अधिकारी एक मोटर

1	2	3	4
			साइकिल/स्कूटर/मोपेड या साइकिल उपयोज्य हालत में रखता है। अधिशासी अभियन्ता पर इस बात का दायित्व होगा कि अधिकारी अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने योग्य वाहन रखता है।
2—नहर जिलेदार	75·00 या 60·00 या 40·00 या 10·00	मोटर साइकिल स्कूटर मोपेड साइकिल	(2) कि जैसा शर्त नं० (4) में उपबंधित है के अतिरिक्त जिस दिन अथवा दिनों सड़क द्वारा यात्राओं का मील भत्ता या अवस्थान का दैनिक भत्ता आहरित किया जाता है का वाहन भत्ता समपहृत (जब्त) होगा। (3) कि नियम 27 (A) (a) (ii) या 27 (B) (I) (a) (ii) के अन्तर्गत जैसी भी दशा अनुमन्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त भत्ता आहरित किया जा सकता है। (4) कि अवर अभियन्ताओं के मामले में मील भत्ता के अतिरिक्त भत्ता आहरित किया जा सकता है। (5) कि एक बार में वाहन का एक ही साधन स्वीकृत किया जायेगा।
2. सिंचाई पर्यवेक्षक	10·00	साइकिल	इस शर्त के साथ स्वीकार किया जावे कि सिंचाई पर्यवेक्षक कार्य करने के लिए उपयोज्य हालत में रखता है।